फर्द अहकाम

(नियम 26)

राजस्व विविध जीसीएमएस नंबर 2023/273 बउनवान नारायणलाल वगैरा बनाम कमलादेवी वगैरा
प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
सपठित आदेश 39 नियम 1 व 2 सीपीसी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
10/09/25	पत्रावली पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। उपस्थित वकुलाय की बहस सुनी गई। पत्रावली व उपलब्ध रिकॉर्ड के अध्ययन से ज्ञात है कि प्रार्थीगण द्वारा इन्द्राज दुरस्ती के जरिये प्रस्तुत घोषणात्मक व सार्वकालिक निषेधाज्ञा के वाद के साथ उक्त अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश कर ग्राम भंदर के गत खसरा नंबर 66/2 रकबा 3 बीघा के भू–भाग से मौका स्थिति अनुसार बने हाल खसरा नंबर 411 रकबा 0.59 हैक्टर के रिकॉर्ड व मौके की यथास्थिति वाद के निर्णय तक कायम रखे जाने की मांग की जा रही है। अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा वर्तमान खसरा नंबर 411 रकबा 5.90 हैक्टर के खातेदार अप्रार्थीगण के पूर्वज होने से अप्रार्थीगण के नाम भूमि दर्ज होना प्रकट किया परंतु अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा कोई खंडन नहीं किया गया। चूंकि उभयपक्ष अस्थाई निषेधाज्ञा बाबत सहमत है। अतः मूल वाद के निर्णय तक ग्राम भंदर के गत खसरा नंबर 66 से बने हाल खसरा नंबर 411 रकबा 0.59 हैक्टर के संबंध में मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति कायम रखे जाने की अस्थाई निषेधाज्ञा धारा 212 आरटी एक्ट 1955 के तहत जारी की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम हो। न्यायालय उप-खण्ड अधिकारी ★ बाली, जिला-पाली (राज.) सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, बाली सहायक कलेक्टर एवं फ्देन् उपखण्ड़ अधिकारी,बाली	

Scanned with CamScanner